	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	पौष 19, गुरूवार, *शाके* 1941–जनवरी 9, 2020 *Pausa 19, Thursday, Saka 1941–January 9, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 13, 2019

संख्या प.4(77)कृषि/ग्रुप-2/2003 :-जैसाकि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(77) कृषि/ ग्रुप-2/2003 दिनांक 25.9.2018 द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान राज्य को अधिसूचित कृषि जिन्सों के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु आभासी कृषि उपज मण्डी क्षेत्र (Virtual Agricultural Produce Market Area) घोषित किया गया है।

अब राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आभासी कृषि उपज मण्डी क्षेत्र (Virtual Agricultural Produce Market Area) के अन्तर्गत मैसर्स एल.टी.सी. कॉमर्शियल कम्पनी प्रा.लि. जयपुर के ई-पोर्टल "e-krishimandi.com" को उक्त अधिनियम की धारा 5(1)(ग) के अन्तर्गत प्राइवेट उप ई-मण्डी घोषित किये जाने की घोषणा करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
लालचन्द गुर्जर,
उप शासन सचिव।

2788

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।